

तारीख

26/12/24 पञ्जाबली फेस हुई

अपीलाण्ट काबजूद गागील  
के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं  
न ही वकील उपस्थित हुआ है।  
इस प्रकार अपीलाण्ट न्यायालय में  
अमालखन अथवा नकालतन उपस्थित नहीं  
हुआ है न्यायालय द्वारा आवाजे लगाई  
गई अपीलाण्ट उपस्थित नहीं हुए हैं।  
ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट अदम  
पैरवी अदम हाजरी में खारीज की जाती  
है पञ्जाबली फेमल शुमार होकर नम्बर  
के क्रम हो।